राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

के अंतर्गत

स्वीकृत संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड

के माध्यम से भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2013–14

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधकों हेतु भारत शासन से प्रति जिले में एक पद के मान से कुल 50 पद स्वीकृत हैं, जिस पर निम्नानुसार राज्य स्तरीय आरक्षण लागू हैः–

संविदा पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	सामान्य		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग (अस्थिबाधित – 40% से अधिक)	योग
				(20%)		(16%)		(14%)		(2%)	
जिला कार्यक्रम प्रबंधक	50	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	50
		17	7	7	3	6	2	5	2	1	

2. संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक हेतु कुल 29 पद रिक्त हैं।
3. रिक्त संविदा पदों का विवरण :–

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत रिक्त संविदा पद संख्या
1	**जिला कार्यक्रम प्रबंधक (District Programme Manager)**	29

4. **संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों पर आरक्षण का विवरण –**

4.1 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों पर राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगा, जिसके लिए पदों का विभाजन निम्नानुसार किया जायेगाः–

संविदा पद का नाम	कुल रिक्त पद	सामान्य		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग	योग
जिला कार्यक्रम प्रबंधक	29	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(अस्थिबाधित– 40% से अधिक)	29
		6	1	6	2	6	2	4	1	1	

4.2 विकलांग हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40% से अधिक अस्थिबाधित अभ्यर्थियों को ही विवेचना में लिया जायेगा।

4.3 हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित विकलांगता की अधिकतम सीमा 60% स्वीकार्य होगी।

5. **चयन प्रक्रिया –**

5.1 उपरोक्त पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र.	संविदा केडर	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
1.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	• AICTE/IIPH/MCI recognized PG Diploma in Public Health • AICTE recognized PG Diploma in Health Management • IIPH recognized PG Diploma in Public Health Management • Post Gradute Diploma in Hospital and Health Management (PGDHM) • Post Graduate Diploma in Rural Management (PGDRM) ' • IIPH recognized Post Gradute Diploma in Health Economics, Health Care Financing and Health Policy(PHDHEP) • MBA, Hospital Management/Hospital Administration • MBA, Rural Developmemt • MSW **(Any of the above)**
		वांछनीय शैक्षणिक अर्हता
		• MPH • MD Community Medicine/Preventive and Social Medicine
		अतिरिक्त अनिवार्य योग्यतायें
		• **Computer knowledge -** MS Office and Use of Web based applications • **Public Health Experience of Minimum 2 Years** in Govt./Semi Govt. Institution/Hospital/NGO

5.2 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

5.3 एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

5.4 ऑनलाईन परीक्षा के आयोजन हेतु केन्द्रों का निर्धारण, एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ही किया जायेगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5.5 ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची, निर्धारित रोस्टर अनुसार तैयार की जायेगी।

5.6 वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के 2 अंकों तक विवेचना में लिया जायेगा

5.7 वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जायेगा।

5.8 अंतिम वरीयता सूची पूर्व पृष्ठ की तालिका में दर्शाये गये क्षैतिज व प्रभागवार आरक्षण (Horizontal and Compartmentalized Reservation) अनुसार तैयार की जायेगी। यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित संवर्ग में उपयुक्त अभ्यर्थी के अभाव में पद की पूर्ति की जाना संभव न हो तो उसी संवर्ग की प्रतीक्षा सूची से पद की पूर्ति की जायेगी।

5.9 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पदपूर्ति हेतु आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

5.10 प्रश्न पत्र कुल 100 अंको का होगा एवं हल करने की अवधि 90 मिनिट होगी।

5.11 जिला कार्यक्रम प्रबंधक के ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रश्नों का प्रावधिक प्रतिशत निम्नानुसार होगाः–

संविदा पद का नाम	क्र.	ऑनलाईन प्रश्न पत्र हेतु विभिन्न विषय	प्रश्नों का प्रावधिक प्रतिशत (%)
जिला कार्यक्रम प्रबंधक	1	Health systems and reforms	10
	2	National Health programs	10
	3	Health planning and management	10
	4	Demography and Health Indicators	10
	5	Health Economics and Financial Management	10
	6	Human Resource Management	10
	7	Logistics and Supply Chain Management	10
	8	Public Health and Public Health Nutrition	10
	9	Computer Knowledge - MS Office and Web Based Applications	20

5.12 प्रश्नों का उपरोक्त विभाजन प्रावधिक है, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन विभागीय सहमति से किया जा सकेगा।

5.13 पदस्थापना हेतु रिक्त पदों का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है। पदस्थापना हेतु जिलों के चयन के लिए अभ्यर्थियों का एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग की जायेगी।

6. ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान जिलों के चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा अनुसार किसी भी जिले का चयन अथवा पदस्थापना हेतु समस्त 29 जिलों का भी विकल्प दिया जा सकेगा।

7. प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग के उपरांत जिलों में चयनित अभ्यर्थी के निर्धारित अवधि में उपस्थित न होने की स्थिति में रिक्त पद हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एक माह के उपरांत पुनः द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग का आयोजन किया जायेगा।

8. द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग के पूर्व रिक्त पदों की जानकारी राज्य स्तर पर संकलित कर मिशन द्वारा एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची (जिलेवार/वर्गवार), दर्शाये क्षैतिज व प्रभागवार आरक्षण (Horizontal and Compartmentalized Reservation) अनुसार तैयार की जायेगी।

10. वरीयता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

11. वरीयता सूची विभागीय वेबसाईट एवं एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

12. परिशिष्ट–1 में दर्शाये अनुसार समस्त संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की पदस्थापना, आवंटित जिले के जिला मुख्यालयों पर की जायेगी।

13. समस्त संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की पदस्थापना हेतु अनुबंध संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य सचिव होने के नाते संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जायेगी।

14. तदानुसार चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में अनुबंध की कार्यवाही हेतु उपस्थित होना होगा।

15. पदस्थापना उपरांत सभी अनुबंधित अभ्यर्थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के संविदा पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक होंगे।

16. संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक का प्रशासकीय नियंत्रण पदस्थापना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन होगा।

17. नियुक्ति पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।

18. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज़ों की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी एवं मूल दस्तावेज़ भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगेः–

- हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (अस्थिबाधित अभ्यर्थी हेतु)
- कार्यानुभव हेतु शासकीय संस्थान/गैर शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस./ई.पी.एफ. कटौत्रा संबंधी दस्तावेज़ अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध बैंक स्टेटमेंट

19. **उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेज़ों के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की उम्मीदवारी अथवा संविदा नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।**

20. **निर्हतायेंः–**

20.1 **पररूपधारण (Imposter) संबंधी –** किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने उम्मीदवारी को सशक्त करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम से ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित करना।

20.2 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

20.3 एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने पर तथा एक पद के लिए आयोजित ऑनलाईन परीक्षा की भिन्न पालियों (Shift) में एक से अधिक बार अभ्यर्थी की उपस्थिति पाये जाने पर।

20.4 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

20.5 **कूटरचित अभिलेख**/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाने पर।

20.6 **कदाचरण संबंधी –** शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन हेतु दण्डित जिला कार्यक्रम प्रबंधक को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

20.7 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध **अपराधिक प्रकरण** दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

20.8 ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, उन्हे संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ हो।

20.9 **विवाह संबंधी –** ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हे संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

21. **वरीयता सूची एवं प्रतिक्षा सूची की वैधता –** वरीयता सूची एवं प्रतिक्षा सूची की वैधता, सूची जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी।

22. **संविदा अवधि एवं संविदा नियम –**

22.1 उपरोक्त संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात जिला कार्यक्रम प्रबंधक के कार्य आधाारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर नियुक्ति अवधि को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

22.2 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।

22.3 संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा, परन्तु प्रशासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये युक्तियुक्तकरण के तहत पद स्थल परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

22.4 संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2013 को की जावेगी।

22.5 महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) एवं पुरूष/महिला आवेदक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी प्रवर्ग की आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

22.6 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। इस अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

22.7 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

22.8 नियुक्ति उपरांत संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को उनके नियुक्ति स्थान पर निवास करना अनिवार्य होगा।

22.9 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।

22.10 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

22.11 जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से संविदा नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

22.12 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो पदस्थापना जिले के जिला स्वास्थ्य समिति को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करना होगी।

23. **मासिक मानदेय :–**

23.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत नियुक्त संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को **परिशिष्ट–2** में दर्शायें अनुरूप प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का ई–भुगतान किया जायेगा।

23.2 महंगाई एवं अन्य भत्ते जैसे – गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. **यात्रा एवं दैनिक भत्ता –**

संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा शासकीय कार्य से यात्रा करने पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित प्रावधान अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी। **परिशिष्ट-3,** इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

25. **टी.डी.एस. कटौत्रा –** संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक की मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौत्रा किया जायेगा।

26. **ई.पी.एफ. कटौत्रा –** ई.पी.एफ. कटौत्रे के संबंध में ई.पी.एफ. एण्ड मिसलेनियस प्रोविशन्स एक्ट,1952 (Employee Provident Fund and Miscelleneous Provisions Act, 1952) के प्रावधान लागू होंगे।

27. **अवकाश –**

27.1 **आकस्मिक अवकाश –** संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

27.2 किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।

27.3 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।

27.4 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

27.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश दिवसों पर भी आवश्यकता पड़ने पर संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को उपस्थित होना पड़ेगा।

27.6 **चिकित्सा अवकाश –** संविदा पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

27.7 3 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

27.8 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणित नहीं किया जायेगा।

27.9 **प्रसूति अवकाश –** मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2010/नियम/4 दिनांक 7/06/2010 द्वारा प्रसूति अवकाश की सीमा 90 दिवस के स्थान पर 180 दिवस की गई है। संचालनालय के परिपत्र क्रमांक/1/विज्ञप्त/सेल/संविदा/2012/2122 दिनांक 11/12/2012 के अंतर्गत म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38(1) अनुसार संविदा महिला जिला कार्यक्रम प्रबंधक को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

27.10 प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित सन्तानों तक ही देय होगा।

27.11 पुरूष संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।

27.12 पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

27.13 पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश को होगा।

28. **अनुबंध –**

28.1 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि `100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

28.2 उपरोक्त अनुबंध संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

28.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

28.4 चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।

29. **अन्य नियम –**

29.1 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

29.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

29.3 संविदा पर नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

29.4 नियुक्ति उपरांत नियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकल्प में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त आयुष चिकित्सक की संविदा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

29.5 यदि संविदा पर नियुक्त कोई जिला कार्यक्रम प्रबंधक बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

29.6 संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में संबंधित जिले के न्यायालय की अधिकारिता होगी।

29.7 नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट – 1

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक हेतु रिक्त पदों का विवरण

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	रिक्त पद की संख्या
1	भोपाल	राजगढ़	1
2		हरदा	1
3		सीहोर	1
4		बैतूल	1
5	इंदौर	बुरहानपुर	1
6		बड़वानी	1
7		झाबुआ	1
8	उज्जैन	देवास	1
9		मंदसौर	1
10		रतलाम	1
11	ग्वालियर	ग्वालियर	1
12		भिण्ड	1
13		श्योपुर	1
14		शिवपुरी	1
15		दतिया	1
16	सागर	छतरपुर	1
17		दमोह	1
18		सागर	1
19		टीकमगढ़	1
20		पन्ना	1
21	रीवा	रीवा	1
22		सतना	1
23		सीधी	1
24		शहडोल	1
25		अनूपपुर	1
26	जबलपुर	नरसिंहपुर	1
27		बालाघाट	1
28		छिन्दवाड़ा	1
29		डिण्डौरी	1
	योग		**29**

परिशिष्ट – 2

संविदा पद हेतु मासिक मानदेय राशि का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	रिक्त संविदा पद संख्या	* प्रस्तावित मासिक मानदेय राशि (`)
1	जिला कार्यक्रम प्रबंधक (District Programme Manager)	29	40,000

परिशिष्ट – 3

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 11.12. 2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1/ वर्गीकरण

श्रेणी	संविदा वेतन
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ताः– यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता (पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता (पूरक नियम 25 की टिप्पणी), विशेष विराम भत्ता (पूरक नियम 55–ए अनुसार) दिया जाता है। राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। तदानुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

श्रेणी	**साधारण दर**	**प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर, एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों (कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर) के लिये विशेष दर**	**दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200

3/ यात्रा के साधनः–

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

4/ ठहरने की पात्रता :– शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर ठहरने की सुविधा होगी।

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर (कालम 2 को छोड़कर) के स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250

5/ प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :–

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी।

श्रेणी	संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (रूपये में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुक्रम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव एवं मिशन संचालक के यात्रा देयक वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।